न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 94 / 2024 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2024/141)
पंजीयन दिनांक– 22.03.2024
निर्णय दिनांक– 18.11.2025

1. श्री मदनलाल पिता छोगालाल सुनार, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 16 / 1992 निर्णय दिनांक 01.11.1995

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.11.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 16 / 1992 निर्णय दिनांक 01.11.1995 के विरूद्ध

दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/विपक्षी श्री मदनलाल पिता छोगालाल सुनार, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को मौजा मुंगाना, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ हाल तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के खसरा नम्बर 2201 मीन, 2204 मीन एवं 2205 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि दिनांक 12.06.1972 को अपीलांट/विपक्षी को आवंटित हुई। आवंटन के बाद अपीलांट/विपक्षी का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, न ही आवंटन शर्तों की पालना की गई है। उक्त भूमि चुंगी नाके के समीप होकर महत्वपूर्ण सरकारी उपयोग की होने से यह आवंटन निरस्तीनय है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 16/1992 निर्णय दिनांक 01.11.2025 से रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट/विपक्षी द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.11.1995 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"उपरोक्त प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर अपीलांट/विपक्षी का विवादित आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, कपासन विवादित भूमि का यथाशीघ्र कब्जा ग्रहण कर रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया

गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल, उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अन्य प्रकरण अपील/एल.आर./2018/1073/चित्तौड़गढ़/06.11.2019 अनवान श्री मदनलाल पिता छोगालाल सुनार बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन में तलब किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 से राजस्व मण्डल को प्रेषित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी के साथ अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण में बहस सुनने के अनुरोध पर उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 14.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/विपक्षी को सम्मन जारी किये जाने पर अपीलांट/विपक्षी अधीनस्थ विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ व जवाब हेतु अवसर चाहा, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांट/विपक्षी का जवाब बंद किए बगैर उक्त पत्रावली में एकपक्षीय कार्यवाही/बहस सुनी गई। अपीलांट/विपक्षी को राज्य सरकार द्वारा आवंटन का पात्र होने से उक्त वर्णित आराजीयात दिनांक 12.06.1972 को आवंटित की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया। आवंटन दिनांक से वर्णित आराजीयात पर अपीलांट/विपक्षी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व आदेश में आवंटित विवादित भूमि कृषि आराजीयात चुंगीनाका के पास होकर महत्वपूर्ण सरकारी भूमि होना मानते हुए आवंटन निरस्त किया है, जो उचित नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जाने का आदेश पारित किया, जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय में मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्ती की कार्यवाही करवाई गई, जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 01.11.1995 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में अपीलांट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रार्थी सम्मन नोटिस की पालना में जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुआ व जवाब हेतु अवसर चाहा, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व आदेश पारित कर दिया, जिसकी अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.03.2024 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के आवेदन पर अपीलांट का आवंटन निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 01.11.1995 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 12.01.1993 की आदेशिका में यह वर्णित किया गया है कि विपक्षी उपस्थित, विपक्षी की ओर से वकील श्री बी. जी. गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब का अवसर चाहा है। आदेशिका अनुसार विपक्षी एवं विपक्षी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है एवं जबाव हेतु अवसर चाहा जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

प्रकरण में हम यह पाते है कि अपीलांट विवादित भूमि का आवंटी रहा है तथा वक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस

प्राप्त होना एवं जवाब हेतु अवसर चाहा जाना एवं उसकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत करना, अर्थात् अपीलांट को स्वयं को आवंटित भूमि पर यदि उसके विरूद्ध उसे स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ एवं जवाब हेतु अवसर चाहा है, तो आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 18.03.2024 को उसके दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन अनुसार किस प्रकार होगी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होकर जवाब हेतु अवसर चाहा है। स्पष्टतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से अपीलांट को नोटिस प्राप्त होकर जवाब हेतु अवसर चाहा है एवं उसकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया है, इसका आशय यह होता है कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण होने की जानकारी उसे वर्ष 1995 से स्पष्ट रूप से है, परन्तु उसके द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं अस्वच्छ हाथों से वर्णन किया है कि उसे सर्वप्रथम 18.03.2024 को जानकारी हुई। अपीलांट जब स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उसे वर्ष 1995 से उक्त भूमि आंवटन निरस्तीकरण प्रकरण की जानकारी होना स्वाभाविक है। वर्ष 1995 से जब उसे इस आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण की जानकारी है तो उसके द्वारा दिनांक 22.03.2024 को अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह 30 वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये गये हैं, इसके विपरीत अपील मेमों एवं दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में जो तथ्य दिये गये हैं, वे सद्भावी तथ्य नहीं होकर विरोधाभासी तथ्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार उसे आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी वर्ष 1995 से होना प्रमाणित है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलांट के स्वच्छ हाथों से नहीं आने एवं प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण दर्शित नहीं होने से अपील अपीलांट बैरून मयाद होने से खारिज होने योग्य है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं, हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत है, क्योंकि आवंटी द्वरा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाए तथा आवंटी उक्त भूमि पर काश्त नहीं करें तो ऐसा आवंटन निरर्थक है तथा जिला कलक्टर जिसे शर्तों की उल्लंघना पर प्रकरण प्राप्त होता हो, वह ऐसा आवंटन निरस्त करने को पूर्णतः सक्षम है। न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2002(1) पेज 376 जिसमें अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं माना गया है, हम उससे सहमत है। हालांकि प्रकरण में बवक्त आवंटन अपीलांट आवेदक का कब्जा होना, उसका नियमितिकरण का पात्र होने की कोई साक्ष्य नहीं है, अतएवं वह अतिक्रमी ही है और ऐसे अतिक्रमण को तहसीलदार को अविलम्ब नियमानुसार हटाना चाहिये। हम यह पाते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन के बाद उसके द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गयी है तथा इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार आवंटन शर्तों की स्पष्टतः उसके द्वारा पालना नहीं की गयी। अतएवं अपीलांट का आवंटन बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। समग्र रूप से अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होकर अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने के कारण उसका आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा करीब 30 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलांट के स्वच्छ हाथों से नहीं आने एवं प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण

दर्शित नहीं होने से अपील अपीलांट बैरून मयाद है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में त्रुटिपूर्ण भ्रामक तथ्यों का वर्णन किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी सारहीन है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट बेरून मयाद होने तथा गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 01.11.1995 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर